इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 525] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 28 सितम्बर 2018—आश्विन 6, शक 1940

### नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 सितम्बर 2018

क्र. एफ-31-4-157-2018-अठारह-1.—मध्यप्रदेश, नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 58 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 433 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम (अधिकारियों तथा सेवकों की नियुक्ति तथा सेवा की शर्तें) नियम, 2000 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

**संशोधन**

उक्त नियमों में, अनुसूची-एक में, अनुक्रमांक 28 के सामने,—

(1) कॉलम (5) में, अंक और शब्द "100 प्रतिशत" के स्थान पर, अंक और शब्द "70 प्रतिशत" स्थापित किए जाएं;

(2) कॉलम (6) में, अंक और शब्द "30 प्रतिशत" अन्तर्विष्ट किए जाएं;

(3) कॉलम (7) में, अंक और शब्द "30 प्रतिशत राज्य नगरीय यांत्रिकी सेवा के लिये" अंतर्विष्ट किए जाएं.

No. F-31-4-157-2018-XVIII-1.—In exercise of the powers conferred by Section 433 read with sub-section (1) of Section 58 of the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Madhya Pradesh Municipal Corporation (Appointment and Service Conditions for Officers and Servants) Rules, 2000, namely :—

AMENDMENT

In the said rules, in Schedule-I, against serial number 28,—

(1) in column (5), for the figure and word "100 percent", the figure and word "70 percent" shall be substituted;

(2) in column (6), the figure and word "30 percent" shall be inserted;

(3) in column (7), the figure and words "30 percent for State Urban Engineering Service" shall be inserted.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**लोकेश कुमार जांगिड,** उपसचिव.



नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2018.